न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 297/2018

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गीता पत्नि जयराम 2. नर्बदा पत्नि बीरबल, जातिगण बावरी निवासीगण बावरियो का बास, जलवाना तहसील बडी रिया, जिला नागौर, राज0।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

दिनांकः 31.08.2020

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सिंगपुरा पटवार हल्का करमावास भू0अ0नि0 गुडाबींजा तह0 सोजत के खसरा नम्बर 27/607, 403/689, 404, 405 कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.8400 हैक्टर किस्म बा0दो0, ख0न0 27/650 रकबा 1.5500 हैक्टर, बा0दो0 प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि स्थित है। उक्त सम्पूर्ण आराजीयत की कृषि भूमि प्रार्थीगण ने पूर्व खातेदार/बेचानदार से जरिए बेचान पंजीयन दस्तावेजात से खरीद कर कब्जा काश्त प्राप्त किया है। उक्त कृषि भूमि खरीद करने के बाद पैमाईस करवाने हेतु आवेदन अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया था। उक्त कृषि भूमि पर्व के खातेदार को आवंटित सुदा है। जिस वजह से उक्त कृषि भूमि का मौके पर सीमांकन किया हुआ नही होने से मौके की स्थिति स्पष्ट नही हो रही थी, जिससे अप्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि का पत्थरगढी के जरिए सीमांकन करवाने की हिदायत दी गई। उक्त कृषि भूमि का मौके पर एवं रेकर्ड के अनुसार स्पष्ट सीमाज्ञान नही होने से पत्थरगढी के जरिए सीमांकन करवाया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थिगण अपनी कृषि भूमि का सीमांकन करवा कर पत्थरगढी/मुटाम लगवाना चाहते है। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा सिंगपुरा प0ह0 करमावास, तह0 सोजत में स्थित होने से न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत 2070–73 पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जाने तथा सरहद मौजा सिंगपुरा पटवार हल्का करमावास भू0अ0नि0 गुडाबींजा तह0 सोजत के खसरा नम्बर 27/607, 403/689, 404, 405 कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.8400 हैक्टर किस्म बा0दो0, तथा ख0न0 27/650 रकबा 1.5500 हैक्टर, बा0दो0 खातेदारी भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढी के जरिए मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रा0 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत को जारी नोटिसेज तारीख पेशी दिनांक 27.07.2018 बाद तामिली/रिपोर्ट सा0मि0 है। तहसीदार सोजत को दिनांक 17.05.2019 से लगातार

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश करने में विफल रहने से जवाब आज बन्द किया गया। [illegible] प्रा0 पत्र प्रकरण सीमांकन करवाया जाकर उक्त भूमि की वाद सीमांकन मुटाम लगवाये जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का है। लिहाजा बहस प्रा0 पत्र अधिवक्ता प्रार्थीगण व तहसीलदार सोजत सुनी गई।

बहस अधिवक्ता प्रा0 अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि का सीमाज्ञान नही होने की वजह से मौके पर उक्त कृषि भूमि के अडौस–पडौस की भूमि के खातेदारों के बीच माठों का आंकलन करने में भारी कठिनाई हो रही है। इसलिए उक्त कृषि भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाकर पत्थरगढी करवायाजाना आश्यक है। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब बहस के दौरान उक्त भूमि के सीमांकन पश्चात् मुटाम लगवाये जाने तथा पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा0 अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की सम्बन्धित कृषि भूमि का नियमानुसार सीमांकन शुल्क जमा होने पर तहसीलदार सोजत अपने स्तर पर उप तहसीलदार, बगडी के नेतृत्व में सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का तथा अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित करके सीमांकन किये जाने तथा मौके पर मुटाम लगवाये जाकर आवश्यकता होने पर जरिए पुलिस ईमदाद पत्थरगढी करवाए जाना उचित समझते हैं।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सिंगपुरा पटवार हल्का करमावास भू0अ0नि0 गुडाबींजा तह0 सोजत में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 27/607, 403/689, 404, 405 कुल खसरा 04 कुल रकबा 4.8400 हैक्टर किस्म बा0दो0, तथा ख0न0 27/650 रकबा 1.5500 हैक्टर, बा0दो0 का नियमानुसार सीमांकन शुल्क जमा होने पर तहसीलदार सोजत अपने स्तर पर उप तहसीलदार, बगडी के नेतृत्व में भू0 अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी संबन्धित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त टीम गठित करके आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि का सीमांकन किया जाकर मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर पत्थरगढी करवाई जाकर पालना रिपोर्ट मय राजस्व नक्शा ट्रेस न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे। तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज